

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**  
**आदेश**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत बिहार आपूर्ति सेवा के निम्नांकित आपूर्ति निरीक्षकों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित प्रखंड/स्थान/जिला में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है। एतद् संबंधी पूर्व में विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश यदि कोई हो तो उसे विलोपित समझा जाय।

क्र०सं०	आपूर्ति निरीक्षक का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन/ प्रखंड/स्थान	पदस्थापित प्रखंड/स्थान
1	2	3	4	5
1	श्री नागेन्द्र चौबे	कटिहार	त्रिवेणीगंज, सुपौल आदेशसं०-5000/29. 06.2015	छातापुर, सुपौल
2	श्री अमर कुमार शर्मा	अररिया	पंडौल, मधुबनी आदेश सं०-5016/30.06. 2015	पिपरा, सुपौल
3	श्री रामकल्याण मंडल	कटिहार	मांझी, सारण आदेश सं०-5014/30.06. 2015	बड़हरिया, सिवान
4	श्री अजित कुमार	नालन्दा	बाराचट्टी, गया आदेश सं०-5014/30.06. 2015	जिला आपूर्ति कार्यालय गया
5	श्री अजित कुमार	पटना	जगदीशपुर, भोजपुर आदेश सं०-1337/18.02. 2014	सदर, भोजपुर
6	श्री एहसान करीम	औरंगाबाद	डिहरी, रोहतास आदेश सं०-5014/30.06. 2015	नासरीगंज, रोहतास

2. उपर्युक्त सभी आपूर्ति निरीक्षकों का स्थानांतरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतः नये पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


(शैलेन्द्र कुमार चौधरी)  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-प्र03-स्था0-03-02/2015 - 6669

खाद्य, पटना/दिनांक- 21.08.15

प्रतिलिपि- सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, सोन भवन, पटना/संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित आपूर्ति निरीक्षकों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्थानान्तरित आपूर्ति निरीक्षकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित प्रखंड/स्थान में योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर दें ।

  
सरकार के अपर सचिव ।